10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 पुनरीक्षण निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0574

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 22-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 22-1-18 (एडवोकेट) ग्वालियर

दुर्गा पुत्र. रामप्रसाद अहिरवार
निवासी ग्राम पीरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. नथुआ पुत्र सरमनिया अहिरवार
2. जगधर पुत्र रामप्रसाद अहिरवार

निवासीगण ग्राम पीरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर द्वारा प्र.कं. 13/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, भूमि ख.नं. 1469/3 ख रकवा 1.578 है. भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक है। आवेदक ने अपने स्वत्व कीभूमि का नक्शा तरमीम कराने बावत आवेदन दिया। जिस पर से प्र.कं. 13/अ–70/2011–12 पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 19.11.2016 द्वारा नक्शा तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया गया तदनुसार नक्शा तरमीम कर दिया गया।

3– यह कि, पूर्व में अनावेदक कं. 1 नथुआ ने अपने स्वामित्व की भूमि ख.नं. 1469/2 का नक्शा तरमीम तहसील न्यायालय से मौके के विपरीत कराकर

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2018/594 **जिला** छतरपुर दुर्गा विरूद्ध नथुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव को ग्राह्यता पर सुना गया । 2. निगरानी मेमो का अवलोकन किया गया । निगरानीकर्ता ने नायब तहसीलदार तहसील रामनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-70/2011-12 अंतर्गत धारा 250(3) में पारित आदेश दिनांक 29-11-2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है । नायब तहसीलदार के आदेश का ओपेरेटिंग पैरा निम्नानुसार है । " अस्तु उपरोक्त आधार पर आवेदक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.300 है. एवं खसरा नम्बर 1471 के रकबा 0.950 है. का मौके पर आवेदक को अंतरिम रूप से कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया जाता है । हल्का पटवारी मौके पर आदेश का पालन कराये ।" 3. उक्त आदेश के पैरा (1) अनुसार ग्राम पीरा स्थित भूमियां खसरा नं. 1469/2, 1470, 1471 रकबा 2.913 है. का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2011 से किया गया है । राजस्व मंडल के द्वारा आदेश दिनांक 29-04-2015 से खसरा क्रमांक 1469 की तरमीम के संबंध में आदेश पारित किया गया है न कि सर्वे क्रमांक 1470 एवं 1471 के संबंध में । 4. अत: सर्वे क्रमांक 1470, 1471 के संबंध में आदेश दिनांक 19-12-2011 के संबंध में अपील/रिवीजन में अन्यथा कोई आदेश प्रस्तुत न करने के कारण निगरानी अग्राह्य की जाती है । सदस्य 24/8/18	